न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास ओम प्रकाश शर्मा आर.ए.एस

अपील सं. 24/2016/अपील
नारायण लाल पुत्र जोधाराम आयु 65 साल जाति जाट निवासी झामावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अपीलांट

ब ना म

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, लाडपुर पंचायत समिति, दांतारामगढ जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का, लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. शांतिदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट नि0 झामावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

– रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 478 दिनांक 20.4.2012
बतस्दीक ग्राम पंचायत, लाडपुर

उपस्थिति–
1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील अपीलांट की ओर से

निर्णय

दिनांक– 11.12.2017

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नं. 92, 94, 158, 159, 220 ता 224, 264 ता 267, 306 ता 313, 493, 569, 582 ता 585, 604, 605, 91 किता 31 कुल रकबा 23.23 है0 वाके ग्राम झामावास प.मं. लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। अपीलांट ने अपील के पैरा सं0 1 में दर्ज संपदा में से भूमि खसरा नं. 159 रकबा 2.40 है0 में से अपने हिस्से 1/2 में से हिस्सा 11/24 यानि संपूर्ण रकबा में से 11/48 हिस्से की 0.55 है. भूमि व खसरा नं. 493 रकबा 1.10 है. में से अपने हिस्से 1/2 संपूर्ण का यानि 0.55 है. का इस प्रकार भूमि खसरा नं. 159, 493 में संपूर्ण रकबे में से 1.10 है. को रेस्पो. सं. 3 को दिनांक 27.01.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया था तब से उक्त भूमि पर रेस्पो. सं. 3 का ही कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट के द्वारा रेस्पो0 सं. 3 के पक्ष में कराये गये विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2012 का ना.करण सं. 478 दिनांक 20.4.2012 द्वारा रेस्पो. सं. 2 के द्वारा भरा गया तथा रेस्पो. सं. 1 के द्वारा तस्दीक किया गया जो कि निम्नलिखित कारणों से खारिज होने योग्य है–

(क) अपीलांट के द्वारा रेस्पो. सं. 3 को भूमि खसरा नं. 159, 493 में से अपने हिस्से 1/2 का विक्रय जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2016 को कराया गया था, परन्तु रेस्पो. सं. 2 के द्वारा ना.करण मात्र खसरा नं. 159 का ही भरा गया। रेस्पो. सं. 2 के

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

नम्बर 265 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.19 हैक्टर,

Scanned by CamScanner

द्वारा विक्रय पत्र का अवलोकन नहीं किया गया है इसलिए ना.करण सं. 478 दिनांक 20.04.2012 जो विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2012 के अनुसार नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

(ख) रेस्पो. सं. 2 के द्वारा ना.करण सं. 478 भरने के बाद हल्का गिरदावर के समक्ष दिनांक 19.04.2012 को जांच हेतु पेश किया गया तो हल्का गिरदावर द्वारा भी उक्त ना.करण में दर्ज प्रविष्टियों को बिना विक्रय पत्र का अवलोकन किये ही सही होने का अंकन कर दिया।

(ग) रेस्पो. सं. 2 ने उक्त ना.करण रेस्पो. सं. 1 के समक्ष पेश किया तो रेस्पो. सं. 1 ने भी विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2012 का अवलोकन नहीं किया। उसने बिना विक्रय पत्र का अवलोकन किये ही ना.करण सं. 478 दिनांक 20.04.2012 को तस्दीक कर दिया, इस कारण उक्त ना.करण खारिज होने योग्य है।

2. अपीलांट को उक्त गलत ना.करण की जानकारी दिनांक 01.08.2016 को जब हुई, तब अपीलांट का पुत्र बजरंग लाल किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी से जमाबंदी ली तो जमाबंदी में अपीलांट का हिस्सा कम करते हुए रेस्पो. सं. 3 का हिस्सा अपीलांट की अपील के पेरा सं. 1 में दर्ज संपूर्ण भूमि खसरा नम्बरान का अंकित कर रखा था। जब अपीलांट के पुत्र ने पटवारी हल्का से पूछा कि मेरे पिताजी के मात्र भूमि खसरा नं. 159 व 493 में से ही रेस्पो. सं. 3 को भूमि विक्रय की थी जब भी रेस्पो. सं 3 का हिस्सा तो हमारी सभी भूमियों में लग रखा है तो हल्का पटवारी ने कहा कि आप तहसील जावों और वहां से ना.करण सं. 478 दिनांक 20.04.2012 की नकल लेकर आवो, तब पता चलेगा कि आपके पिताजी (अपीलांट) के कितनी भूमियां का विक्रय रेस्पो. सं. 3 को किया है। इस पर दिनांक 05.08.2016 को अपीलांट का पुत्र तहसील कार्यालय में आया ओर विक्रय पत्र दिनांक 07.01.2012 की नकल प्राप्त की तो विक्रय पत्र में मात्र खसरा नं. 159 व 493 में से ही अपीलांट ने अपने हिस्से का विक्रय रेस्पो. सं. 3 को करना पाया। जब उक्त तथाकथित ना.करण सं. 478 दिनांक 20.04.2012 की नकल लेने का आवेदन किया तो ऑफिस कानूनगो द्वारा कहा गया कि उक्त ना.करण हल्का पटवारी के पास ही मिलेगा तो अपीलांट का पुत्र दिनांक 10.08.2016 को हल्का पटवारी के पास गया तो हल्का पटवारी ने कहा कि आज तो मैं राजकार्य में व्यस्त हूं, आप तीन चार दिन बाद आना तो अपीलांट का पुत्र दिनांक 16.08.2016 को हल्का पटवारी के पास गया तो हल्का पटवारी द्वारा तथाकथित ना.करण सं. 478 दिनांक 20.04.2012 की नकल प्राप्त करने पर पता चला कि ना.करण केवल खसरा नं. 159 का ही भरा गया हे जबकि विक्रय पत्र खसरा नं. 159 व 493 का है, इसलिए अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है। फिर भी धारा 5 का आवेदन पृथक से पेश किया जा रहा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ना.करण सं. 478 दिनांक 20.04.2012 बतस्दीक ग्राम पंचायत, लाडपुर को खारिज करते हुए तहसीलदार, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

को रिमाण्ड किया जावें कि विकय पत्र दिनांक 27.01.2012 के अनुसार ना.करण भरा जाना प्रार्थनीय है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 ता 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. बहस अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर विवादित ना.करण सं. 478 दिनांक 20.04.2012 बतस्दीक ग्राम पंचायत, लाडपुर निरस्त फरमाया जावें।

5. हमने अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 478 दिनांक 20.04.2012 बतस्दीक सरपंच, ग्राम पंचायत, लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 20.04.2012 के प्रस्ताव सं. 2 द्वारा स्वीकृत किया गया है। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन मियाद अधिनियम का पेश किया गया है। इसलिए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। वकील अपीलांट द्वारा यह अपील ना.करण सं. 478 को खारिज किये जाने हेतु यह अपील पेश की गई है। ग्राम झामावाास की तन में अवस्थित भूमि खसरा नंबर 159 रकबा 2.40 है0 में से हिस्से 1/2 में से 11/24 हि. यानि संपूर्ण में से 11/48 हिस्से की 0.55 है0 भूमि व ख.नं. 493 रकबा 1.10 है. में से हिस्से 1/2 की 0.55 है. भूमि संपूर्ण इस प्रकार कुल 1.10 है. भूमि का बेचान विकेता नारायणलाल पुत्र श्री जोधाराम जाति जाट नि. झामावास तहसील दांतारामगढ द्वारा शांतिदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट नि. झामावास तहसील दांतारामगढ को दिनांक 27.01.2012 को किया गया, लेकिन ना.करण सं. 478 दिनांक 20.04.2012 भरते समय केवल खसरा नंबर 159 का हिस्सा 1/2 के स्थान पर हि. 11/24 सा.देह स्वीकार कर दिया गया। शेष खसरा नंबर 493 का हिस्सा 0.55 है0 का ना.करण भरते समय नंबर व रकबा छोड़ दिया गया जो कि भरा जाना चाहिए था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 478 दिनांक 20.04.2012 बतस्दीक ग्राम पंचायत, लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि नियमानुसार अपीलांट द्वारा कय की गई भूमि विकय पत्र के आधार पर पुनः ना.करण भरवाकर तस्दीक करें।

6. यह निर्णय आज दिनांक 11.12.17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner